



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-110

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268459 दिनांक 24/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Shyam Sunder Sharma S/o RADHEY SHYAM SHARMA	श्री राजीव बांगड पुत्र श्री प्रभूदास बांगड	13	365.55 SQ. YARD	Cooperative	SWAROOP VIHAR VISTAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstit ution	भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 365.55 वर्ग गज की लीजडीड श्री राजीव बांगड पुत्र श्री प्रभूदास बांगड के नाम से दिनांक 7.3.2011 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री राजीव बांगड पुत्र श्री प्रभूदास बांगड द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.12.2022 के द्वारा श्रीसुमना ट्रेड एलएलपी जरिये साझेदार व अधिकृत प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री बिठ्ठल दास अग्रवाल को किया गया है। तत्पश्चात श्रीसुमना ट्रेड एलएलपी जरिये साझेदार व अधिकृत प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री बिठ्ठल दास अग्रवाल द्वारा श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2025 के द्वारा बेचान किया गया है।
---	--	--	----	--------------------	-------------	---	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shyam Sunder Sharma S/o RADHEY SHYAM SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।